



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072025-264358
CG-DL-E-03072025-264358

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947

No. 399]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 442(अ).—केंद्रीय सरकार, एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 108ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (1995 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) “इलेक्ट्रॉनिक मोड” से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से पहली अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. पोर्टल और डाटाबेस.- (1) धारा 3ख के अधीन वक्फ का ब्यौरा फाइल करने, धारा 5 के अधीन औकाफ की सूची अपलोड करने, धारा 36 के अधीन नए वक्फ का रजिस्ट्रीकरण करने, धारा 37 के अधीन औकाफ के रजिस्टर का रखरखाव करने तथा धारा 46 के अधीन वक्फ के मुतवल्ली के खातों की देखरेख और उन्हें प्रस्तुत करने, धारा 47 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रकाशन तथा अधिनियम की धारा 48 के अधीन बोर्ड की कार्यवाही और आदेश के प्रकाशन के प्रयोजनों के लिए एक पोर्टल और डाटाबेस स्थापित किया जाता है।

(2) वक्फ प्रभाग के प्रभारी, भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव, पोर्टल और डाटाबेस के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) पोर्टल और डाटाबेस में संदर्भित अधिनियम के अधीन उल्लिखित ब्यौरा और क्षेत्र, वक्फ संपत्तियों और संबंधित डाटा की मॉनीटरी और प्रबंधन, अदालती मामले, विवादों का समाधान और ऐसे अन्य ब्यौरे और क्षेत्र अंतर्विष्ट होंगे, जो पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्ति के ब्यौरे फाइल करने के लिए आवश्यक हैं।

(4) पोर्टल और डाटाबेस, बोर्ड और मुतवल्ली को पोर्टल और डाटाबेस पर अपना-अपना खाता और अन्य अभिलेख तैयार करने और बनाए रखने में सक्षम बनाएगा।

(5) पोर्टल और डाटाबेस, प्रत्येक वक्फ और वक्फ को समर्पित प्रत्येक संपत्ति के लिए एक यूनिक पहचान संख्या को स्वतः सृजित करेगा, जो अभिलेख के लिए प्रामाणिक होगा और भविष्य के सभी निर्देशों के लिए वक्फ संपत्ति हेतु उपयोग किया जाएगा और सभी राज्यों में वक्फ और उसकी संपत्तियों की ट्रैकिंग और मॉनीटरी सुनिश्चित करेगा।

(6) दिव्यांग व्यक्तियों को भी पोर्टल और डाटाबेस को महसूस करने, समझने, मार्ग निर्देशन करने और अन्योन्यक्रिया करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल और डाटाबेस को डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा।

(7) प्रत्येक राज्य सरकार उस सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव के पद के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी और वक्फ और बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण संबंधी वक्फ और संपत्तियों के ब्यौरों को अपलोड करना, खातों की देखरेख, लेखा परीक्षा और अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार के परामर्श से एक केंद्रीकृत सहायता इकाई की स्थापना करेगी।

4. पोर्टल और डाटाबेस की मॉनीटरी- (1) पोर्टल और डाटाबेस में, नए वक्फ के रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक समय की मॉनीटरी और वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज करने, संस्थागत शासन, अदालती मामलों और विवाद समाधान, वित्तीय निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन और उनके सर्वेक्षण और विकास के लिए विशिष्टताएं शामिल होंगी।

(2) पोर्टल और डाटाबेस, यदि पोर्टल और डाटाबेस पर पहले से दर्ज किसी संपत्ति के संबंध में कोई प्रविष्टि फिर से की जाती है, तो प्रविष्टियों के अनलिपिकरण को चिह्नित करेंगे।

(3) पोर्टल और डाटाबेस उसके उपयोग और कार्य पद्धति के संबंध में किसी भी शिकायत के निवारण के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेंगे।

(4) उपनियम (3) के अधीन संयुक्त सचिव के विनिश्चय को कार्यान्वित किया जाएगा तथा तदनुसार पोर्टल और डाटाबेस का आवश्यक सुधार किया जाएगा।

(5) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा पोर्टल और डाटाबेस के कार्य पद्धति का पुनर्विलोकन किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त जाता है।

(6) उपनियम (5) के अधीन नियुक्त अभिकरण पोर्टल और डाटाबेस की कार्यपद्धति का पुनर्विलोकन करेगा और तीन मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार, रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पोर्टल और डाटाबेस पर अभिकरण की रिपोर्ट और अभिकरण की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रकाशित करेगी।

5. पोर्टल और डाटाबेस पर नामांकन- (1) प्रत्येक मुतवल्ली, अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल पते का उपयोग करके पोर्टल और डाटाबेस से अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टल और डाटाबेस पर नामांकन करेगा और तत्पश्चात् पोर्टल और डाटाबेस का उपयोग कर सकेगा और अपने वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्ति का ब्यौरा फाइल कर सकेगा।

(2) पोर्टल और डाटाबेस पर नामांकन के पश्चात्, मुतवल्ली वक्फ के संबंध में पोर्टल और डाटाबेस के भविष्य के उपयोग के लिए अपने मोबाइल नंबर और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सहित ई-मेल आईडी का प्रयोग कर पोर्टल और डाटाबेस पर लॉगिन कर सकेंगे।

(3) मुतवल्ली को प्रत्येक वक्फ जिसका वह मुतवल्ली है, के विवरण अलग से प्रविष्ट करने होंगे।

(4) पोर्टल और डाटाबेस का प्रत्येक उपयोगकर्ता, जिसमें बोर्ड, कलक्टर, अधिनियम की धारा 3ग के अधीन अधिकारी और वक्फ से ब्यौहार करने वाले केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी शामिल हैं, को भी इस नियम के अधीन पोर्टल और डाटाबेस तक पहुंच हो।

(5) किसी वक्फ के मुतवल्ली के बदलने या उप-नियम (1) के अधीन नामांकित मोबाइल नंबर या ई-मेल पते को बदलने की दशा में, मोबाइल नंबर या ई-मेल पते को बदलने की जिम्मेदारी नए मुतवल्ली की होगी।

(6) केन्द्रीय वक्फ परिषद को पोर्टल और डाटाबेस पर अपलोड की गई सूचनाओं तक पहुंच का अधिकार होगा।

6. धारा 3ख के अधीन पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ के ब्यौरे और अन्य विशिष्टियां फाइल करना- (1) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व विद्यमान वक्फ के मुतवल्ली, अधिनियम की धारा 3ख के अधीन वक्फ और उसकी संपत्ति के ब्यौरे पोर्टल और डाटाबेस पर फाइल करेंगे।

(2) अधिनियम की धारा 3ख की उपधारा (1) के अधीन वक्फ के ब्यौरे में अन्य सूचनाओं के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:-

(क) वक्फ संपत्तियों की पहचान और सीमाएं, उनका उपयोग और अधिभोगी;

(ख) वक्फ के निर्माता का नाम और पता, ऐसे निर्माण का ढंग और तारीख;

(ग) यदि उपलब्ध हो तो ऐसे वक्फ विलेख;

(घ) फायदाग्राहियों का ब्यौरे सहित वर्तमान मुतवल्ली और उसका प्रबंधन;

(ङ) ऐसी वक्फ संपत्तियों से सकल वार्षिक आय;

(च) वक्फ संपत्तियों के संबंध में प्रतिवर्ष संदेय भू-राजस्व, उपकर, दरें और करों की रकम;

(छ) वक्फ संपत्तियों की आय की वसूली में प्रतिवर्ष उपगत व्यय का प्राक्कलन;

(ज) वक्फ के अधीन निम्नलिखित के लिए अलग रखी गई रकम-

(i) मुतवल्ली का वेतन और व्यष्टिकों को भत्ते;

(ii) विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रयोजन;

(iii) पूर्त प्रयोजन; और

(iv) कोई अन्य प्रयोजन;

(झ) प्रत्येक संपत्ति का क्षेत्रफल;

(ञ) न्यायालय मामलों का ब्यौरा, यदि कोई हो जिसमें ऐसी वक्फ संपत्ति अंतर्बलित हो; और

(ट) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट घोषणा

(3) मुतवल्ली द्वारा किसी पर्याप्त कारण से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पोर्टल और डाटाबेस पर ब्यौरा फाइल नहीं कर पाने की दशा में वह अधिनियम की धारा 3ख की उपधारा (1) के परंतुक के अनुसार पोर्टल और डाटाबेस पर ऐसा ब्यौरा फाइल करने के लिए अधिकरण से समय विस्तार की मांग करेगा।

(4) मुतवल्ली यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्ति का सही और सटीक ब्यौरा, जिसमें यदि उपलब्ध हो, तो अधिसूचना संख्या और इसके प्रकाशन की तारीख, औकाफ रजिस्टर संख्या, यदि उपलब्ध हो, जिन्हें अधिनियम की धारा 3ख के अधीन पोर्टल और डाटाबेस पर फाइल किया गया है।

(5) मुतवल्ली, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट घोषणा भी करेगा।

(6) मुतवल्ली द्वारा वक्फ और उसकी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल और डाटाबेस पर फाइल करने के दस दिन के भीतर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा लिखित रूप में सम्पकरूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अधिनियम की धारा 3ख के अधीन पोर्टल और डाटाबेस पर फाइल वक्फ और उसकी संपत्ति का ब्यौरा सत्यापित करेगा और इस प्रकार फाइल वक्फ और उसकी संपत्ति की जानकारी और विशिष्टियों की सत्यता को प्रमाणित करेगा और दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट घोषणा करेगा।

(7) बोर्ड वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्ति के ब्यौरे की सत्यता की भी जांच करेगा, जैसा कि मुतवल्ली द्वारा पोर्टल और डाटाबेस पर फाइल किया गया है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा सम्पक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है।

7. वक्फ की गलत घोषणा की जांच- अभिहित अधिकारी जांच पूरी करेगा और कलक्टर द्वारा उसे निर्देशित की गई तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 3ग के अधीन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. भरण-पोषण के लिए संदाय की रीति- (1) वक्फ-अलल-औलाद की आय, यदि वक्फ या वह व्यक्ति जिसके फायदे के लिए वक्फ बनाया गया था, के उत्तराधिकार का क्रम समाप्त हो जाता है, तो अधिनियम की धारा 3 के खंड (द) के उप-खंड (iv) के अधीन विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के कल्याण या भरण-पोषण के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट वक्फ-अलल-औलाद से विधवा, तलाकशुदा महिलाओं या अनाथ को भरण-पोषण के संदाय के लिए आवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्ररूप-1 में किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन आवेदन विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ द्वारा स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(4) आवेदन के साथ आधार या किसी अन्य पहचान प्रमाण की प्रति तथा आवेदक के विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ होने के निवास प्रमाण की प्रति तथा यदि आवेदन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उस व्यक्ति के निवास प्रमाण की प्रति संलग्न होनी चाहिए।

(5) बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा वह ठीक समझे, तथा उसका समाधान हो जाने पर कि आवेदक को ऐसे भरण-पोषण की आवश्यकता है, आवेदक को किसी विशिष्ट वक्फ से भरण-पोषण के संदाय के संबंध में बोर्ड को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट और सिफारिशों से समाधान हो जाने पर बोर्ड किसी विशिष्ट वक्फ से आवेदक को भरण-पोषण की ऐसी रकम के संदाय के लिए आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे, जहां वक्फ के वाकिफ का ऐसा आशय है या उसने वक्फ में ऐसे उपबंध किए हैं।

(7) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उप-नियम (5) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी बोर्ड के आदेश को आवेदक और संबद्ध वक्फ को सात दिनों की अवधि के भीतर संसूचित करेगा।

(8) संबद्ध वक्फ केवल आवेदक के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से भरण-पोषण की रकम का संदाय करेगा और बोर्ड को संदाय की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(9) बोर्ड और मुतवल्ली प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में इस नियम के अधीन भरण-पोषण के आवेदन और संदाय के अभिलेख रखेंगे।

(10) वक्फ-अलल-औलाद के मुतवल्ली, वक्फ-अलल-औलाद को समर्पित संपत्ति के विधिक उत्तराधिकारियों की प्रास्थिति के बारे में बोर्ड को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ताकि ऐसे वक्फ-अलल-औलाद से विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के भरण-पोषण पर जानकारी ली जा सके और विनिश्चय लिया जा सके।

(11) इस नियम के अधीन आवेदन करने, भरण-पोषण का संदाय और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सभी क्रियाकलाप पोर्टल और डाटाबेस के माध्यम से किए जाएंगे।

9. औकाफ की सूची अपलोड करने की रीति- (1) सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात्, राज्य सरकार औकाफ की सूची प्रकाशित करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

- (क) वक्फ संपत्तियों की पहचान, सीमाएं;
- (ख) उनका उपयोग और अधिभोगी;
- (ग) निर्माता का ब्यौरा, ऐसे निर्माण का ढंग और तारीख;
- (घ) वक्फ का प्रयोजन;
- (ङ) उनके वर्तमान मुतवल्ली और प्रबंधन।

(2) राज्य सरकार, सूची के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, औकाफ की अधिसूचित सूची और ऐसे प्रत्येक वक्फ का ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पोर्टल और डाटाबेस पर अपलोड कराएगी।

(3) यदि औकाफ की अधिसूचित सूची और ऐसे प्रत्येक वक्फ का ब्यौरा उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पोर्टल और डाटाबेस पर अपलोड नहीं किया जा सका, तो राज्य सरकार कारणों को लेखबद्ध करते हुए, और नब्बे दिन की अवधि के भीतर उसे अपलोड करेगी।

10. नए वक्फ का रजिस्ट्रीकरण- (1) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) के प्रारंभ के पश्चात् बनाया गया वक्फ, अपने निर्माण के तीन मास के भीतर अधिनियम की धारा 36 के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए बोर्ड को आवेदन करेगा।

(2) वक्फ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 4 में पोर्टल और डाटाबेस पर किया जाएगा, और इसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

- (क) वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा जो उनकी पहचान के लिए पर्याप्त हो;
- (ख) अपलोड किए जाने वाले वक्फ विलेख की प्रति;
- (ग) ऐसी संपत्तियों से सकल वार्षिक आय;

- (घ) वक्फ संपत्तियों के संबंध में प्रतिवर्ष संदेय भू-राजस्व, उपकर, दरें और करों की रकम;
- (ङ) वक्फ संपत्तियों की आय की वसूली में वार्षिक उपगत व्यय का प्राक्कलन;
- (च) वक्फ के अधीन निम्नलिखित के लिए अलग रखी गई रकम
 - (i) मुतवल्ली का वेतन और व्यष्टिकों को भत्ते;
 - (ii) विशुद्ध धार्मिक प्रयोजन;
 - (iii) पूर्त प्रयोजन; और
 - (iv) कोई अन्य प्रयोजन;
- (छ) वाकिफ का नाम और पता, यदि उपलब्ध हो;
- (ज) वक्फ-अलल-औलाद की दशा में वक्फ के फायदाग्राहियों के नाम और पते तथा ऐसे वक्फ में प्रत्येक फायदाग्राही का शेयर;
- (झ) विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों का ब्यौरा, यदि कोई हो, जो वक्फ-अलल-औलाद की दशा में वक्फ से भरण-पोषण प्राप्त कर रहे हों;
 - (i) न्यायालय मामलों का ब्यौरा, यदि कोई हो;
- (ञ) वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण का ब्यौरा, यदि कोई हो;
- (ट) वक्फ संपत्ति का सीमांकन और क्षेत्रफल तथा संपत्ति का फोटोग्राफ;
- (ठ) क्या वाकिफ संपत्ति का विधिपूर्ण स्वामी है और उसे वक्फ को समर्पित करने में सक्षम है,
- (ड) क्या संपत्ति सरकारी संपत्ति है या प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7) या प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अधीन संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र है;
- (ढ) क्या संपत्ति संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची के उपबंधों के अधीन आती है।

(3) मुतवल्ली, रजिस्ट्रीकरण के लिए पोर्टल और डाटाबेस पर आवेदन करते समय सत्यापन के लिए अपना आधार नंबर या किसी अन्य वैध फोटो पहचान पत्र की प्रति अपलोड करेंगे और दूसरी अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट घोषणा करेंगे।

(4) मुतवल्ली पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ की प्रत्येक स्थावर संपत्ति के भूमि अभिलेखों की प्रतियां भी अपलोड करेंगे।

(5) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड आवेदन को उस कलक्टर को अग्रेषित करेगा, जिसके पास जांच और रिपोर्ट की अधिकारिता है।

(6) कलक्टर, राजस्व विधियों के अनुसार आवेदन की वास्तविकता और वैधता तथा आवेदन में वर्णित सभी विशिष्टियों की सत्यता की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट में पुष्टि करेगा कि—

- (क) वाकिफ संपत्ति का विधिपूर्ण मालिक है और वक्फ को समर्पित करने में सक्षम है;
- (ख) संपत्ति, प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7) या प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अधीन सरकारी संपत्ति या संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र नहीं है;

(ग) संपत्ति संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है।

(7) कलक्टर, बोर्ड से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि आवेदन, वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो बोर्ड वक्फ को रजिस्ट्रीकृत करने से पहले वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को आवेदन की सूचना देगा और उसके इच्छानुसार उसे सुनवाई का मौका देगा।

(9) मुतवल्ली, पोर्टल और डाटाबेस के माध्यम से आय और व्यय के लेखापरीक्षित ब्यौरा के साथ अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट, बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(10) बोर्ड, पोर्टल और डाटाबेस पर प्रत्येक वक्फ के ब्यौरे का सारांश प्रकाशित करेगा, जिसमें वक्फ और उसके मुतवल्ली की पहचान, पिछले वर्ष के दौरान वक्फ द्वारा किए गए क्रियाकलाप, उसकी आय और व्यय तथा न्यायालय मामलों और अतिक्रमणों, यदि कोई हो, का ब्यौरा शामिल होगा।

11. औकाफ का रजिस्टर- (1) बोर्ड, अधिनियम की धारा 37 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक ढंग में पोर्टल और डाटाबेस पर प्ररूप 5 में औकाफ का रजिस्टर बनाकर रखेगा।

(2) अधिनियम की धारा 37 के अधीन औकाफ के रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियां शामिल होंगी, अर्थात्:-

- (क) वक्फ और उसकी प्रत्येक संपत्ति को सौंपी गई वक्फ पहचान संख्या;
- (ख) वक्फ विलेखों की प्रतियां, यदि उपलब्ध हों, तथा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) के प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात बनाए गए वक्फ के मामले में अनिवार्य;
- (ग) वक्फ का वर्ग;
- (घ) मुतवल्लियों के नाम;
- (ङ) वक्फ विलेख के अधीन या प्रथा द्वारा या प्रयोग द्वारा मुतवल्ली के पद के उत्तराधिकार का नियम;
- (च) सभी वक्फ संपत्तियों तथा उनसे संबद्ध सभी स्वामित्व विलेखों और दस्तावेजों की विशिष्टियां;
- (छ) रजिस्ट्रीकरण के समय प्रशासन की स्कीम तथा व्यय की स्कीम की विशिष्टियां;
- (ज) अधिसूचना संख्या और राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख जिसके अधीन वक्फ अधिसूचित किया गया है;
- (झ) वाकिफ का नाम और पता, यदि उपलब्ध हो;
- (ञ) वक्फ-अलल-औलाद की दशा में वक्फ के फायदाग्राहियों के नाम और पते तथा ऐसे वक्फ में प्रत्येक फायदाग्राही का हिस्सा;
- (ट) न्यायालय मामलों और अतिक्रमणों का ब्यौरा, यदि कोई हो;
- (ठ) वक्फ की किसी संपत्ति पर अधिभोग की प्रकृति, चाहे वह स्वयं प्रबंधित हो या पट्टे पर हो और संपत्ति से होने वाली आय, यदि कोई हो;
- (ड) वक्फ संपत्ति का सीमांकन और क्षेत्रफल तथा संपत्ति का फोटो;
- (ढ) क्या वाकिफ, संपत्ति का विधिपूर्ण स्वामी है और वक्फ को समर्पित करने में सक्षम है,

(ण) क्या संपत्ति प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7) या प्राचीन संस्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अधीन सरकारी संपत्ति या संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र है;

(त) क्या संपत्ति संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची के उपबंधों के अधीन आती है।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपत्ति का फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक अभिलेख भी व्यवस्थित करेगा और पोर्टल और डाटाबेस पर उसका सार अपलोड करेगा।

(4) बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औकाफ के रजिस्टर में प्रविष्ट व्यौरों की सत्यता सुनिश्चित करेगा और प्रत्येक कैलेंडर मास के अंत में रजिस्टर को अद्यतित करेगा।

12. वक्फ के मुतवल्ली के खातों का रखरखाव- (1) वक्फ का मुतवल्ली प्ररूप 6 में अधिनियम की धारा 46 के अधीन खातों और अभिलेखों का पूर्ण और सत्य विवरण तैयार करेगा और बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(2) मुतवल्ली प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को या उससे पूर्व पोर्टल और डाटाबेस पर इलेक्ट्रॉनिक ढंग में बोर्ड को खातों का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) मुतवल्ली पोर्टल और डाटाबेस पर इलेक्ट्रॉनिक ढंग में उप-नियम (1) में वर्णित प्ररूपों में खाता बही और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा।

(4) मुतवल्ली सभी खाता बही और अन्य सुसंगत कागजात और वाउचर को उसी रूपविद्यान में रखेगा।

(5) अनुरक्षित अभिलेख पोर्टल और डाटाबेस पर अपलोड की जानी है।

(6) यदि वक्फ की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, तो वक्फ का मुतवल्ली बोर्ड को प्ररूप 6 के भाग क में खातों का व्यौरा प्रस्तुत करेगा।

13. लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रकाशन- (1) अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (2) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, बोर्ड, पोर्टल और डाटाबेस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

14. बोर्ड की कार्यवाहियों और आदेशों का प्रकाशन- (1) बोर्ड, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन आदेश दिए जाने की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर, बोर्ड द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों को पोर्टल और डाटाबेस पर प्रकाशित करेगा।

(2) बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश के बारे में मुतवल्ली, प्रबंधन समिति और अन्य पणधारियों को तत्काल अधिसूचित किया जाएगा।

15. बोर्ड को संदेय वार्षिक अंशदान.- अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को संदेय वार्षिक अंशदान के प्रयोजनों के लिए अधिकतम रकम एक करोड़ रुपये होगी।

पहली अनुसूची

[नियम 2(घ) देखिए]

प्ररूप 1

[नियम 8(2) देखिए]

भरण-पोषण के संदाय के लिए आवेदन

[एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की

धारा 3(द)(iv) के अधीन]

आवेदन सं.:
प्राप्ति की तारीख:

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

राज्य वक्फ बोर्ड ----- (राज्य का नाम)

पता -----

आवेदक का ब्यौरा:

1. नाम:

2. पिता का नाम:

3. पता:

(निवास प्रमाण की प्रति संलग्न करें)

4. आधार संख्या:

(आधार या किसी अन्य वैध फोटो पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें)

5. वैवाहिक प्रास्थिति:

6. विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ:

7. विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ होने की अवधि:

यदि आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं किया गया है, तो आवेदक की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा:

अपना नवीनतम पासपोर्ट
आकार का फोटो चिपकाएं

8. नाम:

9. पिता का नाम:

10. पता:

11. आधार संख्या:

(आधार या किसी अन्य वैध फोटो पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें)

दावा किए गए अनुरक्षण का ब्यौरा

12. रखरखाव की प्रकृति:

(विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ के भरण-पोषण के लिए हो)

13. आवेदक की प्रास्थिति:

(कृपया स्थिति का दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)

14. दावा की गई भरण-पोषण रकम:

अपना नवीनतम पासपोर्ट
आकार का फोटो
चिपकाएं

घोषणा

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी
_____ एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा
दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं
गई है।

तारीख:

हस्ताक्षर

स्थान:

(नाम-----)

आवेदक की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा, यदि द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदक नहीं किया गया है:

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी
_____ एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त आवेदक का नाम मुझे
व्यक्तिगत रूप से ज्ञात है और मेरा मानना है कि वह वक्फ-अलल से भरण-पोषण का दावा करने के लिए पात्र है। मेरे द्वारा
दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई
है।

तारीख:

हस्ताक्षर

स्थान:

(नाम-----)

प्ररूप 2

[नियम 8(9) देखिए]

बोर्ड द्वारा अनुरक्षित भरण पोषण के आवेदन और संदाय का अभिलेख**आवेदक का ब्यौरा:**

1. आवेदक का नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
4. आधार संख्या या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र:
5. वैवाहिक प्रास्थिति:
6. विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ:
7. विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ होने की अवधि:

यदि आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं किया गया है, तो आवेदक की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा:

8. नाम:
9. पिता का नाम:
10. पता:
11. आधार संख्या या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र:

वक्फ-अलल-औलाद का ब्यौरा जिससे भरण-पोषण का दावा किया जाता है:

12. वक्फ-अलल-औलाद:
13. वक्फ-अलल-औलाद का पता:
14. मुतवल्ली का नाम:
15. मुतवल्ली का पता:

दावा किये गये भरण-पोषण का ब्यौरा:

16. भरण-पोषण की प्रकृति:
(विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ के भरण-पोषण के लिए)

17. भरण-पोषण की रकम:

18. आवेदक को भरण-पोषण प्रदान करने वाले बोर्ड के आदेश की संख्या और तारीख :

19. प्रविष्टियों का सत्यापन एवं बोर्ड के अधिकारी के हस्ताक्षर:

प्ररूप 3

[नियम 8(9) देखिए]

वक्फ द्वारा अनुरक्षित भरण-पोषण के आवेदन और संदाय का अभिलेख
(वक्फ का नाम और पता)**आवेदक का ब्यौरा:**

1. आवेदक का नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
4. आधार संख्या या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र:
5. वैवाहिक प्रास्थिति:
6. विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ:
7. विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ होने की अवधि:

यदि आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं किया गया है, तो आवेदक की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा:

8. नाम:
9. पिता का नाम:
10. पता:
11. आधार संख्या या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र:

वक्फ-अलल-औलाद का ब्यौरा जिससे भरण-पोषण का दावा किया जाता है:

12. वक्फ-अलल-औलाद :
13. वक्फ-अलल-औलाद का पता :
14. मुतवल्ली का नाम :
15. मुतवल्ली का पता :

दावा किये गये भरण-पोषण का ब्यौरा:

16. भरण-पोषण की प्रकृति:
(विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ के भरण-पोषण के लिए)
17. भरण-पोषण की रकम:
18. आवेदक को भरण-पोषण प्रदान करने वाले बोर्ड के आदेश की संख्या और तारीख :
19. प्रविष्टियों का सत्यापन और मुतवल्ली के हस्ताक्षर :

प्ररूप 4

[नियम 10(2) देखिए]

वक्फ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 36 के अधीन]

सेवा में,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य वक्फ बोर्ड ----- (राज्य का नाम)
पता-----

आवेदन संख्या:
प्राप्ति की तारीख:

----- (पूरा पता) में स्थित -----
(वक्फ का नाम) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

आवेदक का ब्यौरा:

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
4. आधार संख्या:

(आधार या किसी अन्य वैध फोटो पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें)

यदि आवेदन वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति का नाम और पता

5. वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति का नाम:
6. पिता का नाम:
7. पता:

वक्फ का ब्यौरा:

8. वक्फ विलेख की प्रति:
9. वक्फ संपत्तियों की पहचान के लिए पर्याप्त विवरण:
10. ऐसी संपत्तियों से सकल वार्षिक आय:
11. वक्फ संपत्तियों के संबंध में वार्षिक संदेय भूमि राजस्व, उपकर, दरें और करों की रकम:
12. वक्फ संपत्तियों की आय की वसूली में वार्षिक रूप से होने वाले व्ययों का प्राक्कलन:
13. वक्फ के अधीन अलग रखी गई रकम-
 - (i) मुतवल्ली का वेतन और मुतवल्ली को भत्ते व्यष्टिकों के लिए:
 - (ii) विशुद्ध धार्मिक प्रयोजन:
 - (iii) पूर्त प्रयोजन:
 - (iv) कोई अन्य प्रयोजन:
14. वाकिफ का नाम और पता, यदि उपलब्ध हो:
15. वक्फ-अलल-औलाद की दशा में वक्फ के फायदाग्राहियों के नाम और पते तथा ऐसे वक्फ में प्रत्येक फायदाग्राही के शेयर:
16. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों का ब्यौरा, यदि कोई हो, जो वक्फ-अलल-औलाद की दशा में वक्फ से भरण-पोषण प्राप्त कर रहे हों:
17. न्यायालय मामलों का ब्यौरा, यदि कोई हो:

18. वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण का ब्यौरा, यदि कोई हो;
19. वक्फ संपत्ति का सीमांकन और क्षेत्र;
20. क्या वाकिफ संपत्ति का विधिपूर्ण स्वामी है और वक्फ को समर्पित करने में सक्षम है,
21. क्या संपत्ति प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7) या प्राचीन संस्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अधीन सरकारी संपत्ति या संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र है;
22. क्या संपत्ति संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची के उपबंधों के अधीन आती है।

प्ररूप 5

[नियम 11(1) देखिए]

औकाफ का रजिस्टर

[एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 37 के अधीन]
(वक्फ का नाम और पता)

1. वक्फ विलेख की प्रति, यदि उपलब्ध हो, और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने की तारीख के बाद बनाए गए वक्फ के मामले में अनिवार्य रूप से;
2. वक्फ की विशिष्ट पहचान संख्या;
3. वक्फ की संपत्ति/संपत्तियों की विशिष्ट पहचान संख्या:
(प्रत्येक वक्फ संपत्ति की यूआईडी संख्या दर्ज करें)
4. प्रत्येक वक्फ संपत्ति का ब्यौरा जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो:
(यहां प्रत्येक वक्फ संपत्ति का ब्यौरा दर्ज करें)
5. ऐसी संपत्तियों से सकल वार्षिक आय;
6. वक्फ संपत्तियों के संबंध में वार्षिक रूप से संदेय भूमि राजस्व, उपकर, दरें और करों की रकम;
7. वक्फ संपत्तियों की आय की वसूली में वार्षिक रूप से होने वाले व्यय का प्राक्कलन;
8. वक्फ के अधीन निम्नलिखित के लिए अलग रखी गई रकम:
 - (i) मुतवल्ली का वेतन और व्यष्टिकों को भत्ते;
 - (ii) विशुद्ध धार्मिक प्रयोजन;
 - (iii) पूर्ण प्रयोजन;
 - (iv) कोई अन्य प्रयोजन;
9. वक्फ का नाम और पता, यदि उपलब्ध हो;
10. वक्फ-अलल-औलाद की दशा में वक्फ के फायदाग्राहियों के नाम और पते तथा ऐसे वक्फ में प्रत्येक फायदाग्राही का हिस्सा;
11. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों का ब्यौरा, यदि कोई हो, जो वक्फ-अलल-औलाद की दशा में वक्फ से भरण-पोषण प्राप्त कर रहे हों;
12. न्यायालय मामलों का ब्यौरा, यदि कोई हो;
13. वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण का ब्यौरा, यदि कोई हो;
14. वक्फ संपत्ति का सीमांकन और क्षेत्रफल;
15. क्या वाकिफ संपत्ति का विधिपूर्ण स्वामी है और उसे वक्फ को समर्पित करने में सक्षम है,
16. क्या संपत्ति प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7) या प्राचीन संस्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अधीन सरकारी संपत्ति या संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र है;
17. क्या संपत्ति संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची के उपबंधों के अधीन आती है।
18. रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के लिए जिम्मेदार बोर्ड के अधिकारी का नाम और पदनाम तथा उसके नाम के पहले अक्षर:

प्ररूप 6

[नियम 12(1) देखिए]

खातों और अभिलेखों का विवरण

[एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 46 के अधीन]

भाग-क

वित्तीय वर्ष _____ के लिए आय और व्यय बजट प्राकलन
(वक्फ का नाम और पता)

आय					व्यय				
आय के शीर्ष	चालू वर्ष से ठीक पूर्व के वर्ष के वास्तविक आय	चालू वर्ष का बजट प्राकलन	चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राकलन	अगले वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राकलन	व्यय के शीर्ष	चालू वर्ष से ठीक पूर्व के वर्ष के लिए वास्तविक आय	चालू वर्ष का बजट प्राकलन	चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राकलन	अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राकलन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

आय:**1. प्राप्त अंशदान****2. अन्य आय-**

- (क) निवेश और अग्रिम पर व्याज
- (ख) दस्तावेजों और अन्य छोटी-मोटी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए फीस
- (ग) किराया और भूमि और भवन
- (घ) नकद अनुदान और सुविधाएं
- (ङ) प्रतिभूतियों, स्टॉक, डिबेंचर या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री
- (च) स्थावर संपत्तियों की बिक्री
- (छ) नजर और चढ़ावा
- (ज) अन्य प्राप्तियां

व्यय:**1. पिछले वर्ष का घाटा****2. (क) ई-सरकार को दिया गया भू-राजस्व**

- (ख) मुतवल्ली का पारिश्रमिक एवं भत्ते
- (ग) प्रबंध समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक एवं भत्ते
- (घ) यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते
- (ङ) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संदत, दरें, उपकर, कर और लाइसेंस फीस
- (च) वक्फ के फायदे के लिए मुतवल्ली द्वारा खेती के अधीन प्रत्यक्ष रूप से आने वाली भूमि के संबंध में सभी या किन्हीं के लिए उपगत व्यय, अर्थात्
 - (i) सिंचाई कार्यों का रखरखाव और मरम्मत, जिसमें सिंचाई की पूंजी लागत शामिल नहीं होगी
 - (ii) बीज या पौद;
 - (iii) खाद;
 - (iv) कृषि कार्यान्वयनों का क्रय और रखरखाव;
 - (v) खेती के पशुओं का क्रय और रखरखाव;
- (vi) हल जोताई, पानी देना, रोपण, प्रतिरोपण, कटान, श्रेथिंग और अन्य कृषि प्रचालन के लिए मजदूरी;
- (vii) किराये पर दिए भवन की रिपेयर पर व्यय, जो उसके वार्षिक किराये के पांच प्रतिशत से अधिक न हो या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो;
- (viii) स्थावर संपत्तियों के विक्रय आगम या स्थावर संपत्ति से संबंधित या उद्भूत अधिकार, यदि ऐसे आगम वक्फ से आय के लिए पुनः विनिधान किए हों;

कुल:

अगले वित्तीय वर्ष के अंत में घाटा/अधिशेष:

भाग-ख**वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संदायों का बजट प्राक्कलन**

प्राप्तियां	चालू वर्ष से ठीक पहले के वर्ष के लिए वास्तविक आय	चालू वर्ष का बजट प्राक्कलन	चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	अगले वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	संदाय	चालू वर्ष से ठीक पहले के वर्ष के लिए वास्तविक आय	चालू वर्ष का बजट प्राक्कलन	चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

पिछले वर्ष का नकद अतिशेष:

(i) आय

(ii) व्यय

(ii) ऋण

(ii) ऋणों का संदाय*

कुल

वर्ष के अंत में नकद अतिशेष**

* व्यय की तुलना में आय के अधिशेष से या ऋणों आदि के अतिशेष से, जब कोई अधिशेष न हो।

** इसमें वेतन, यात्रा भत्ते और वकील की फीस के अग्रिम शामिल हैं।

भाग-ग**परिसंपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा**

आस्तियों के शीर्ष	चालू वर्ष से ठीक पहले के वर्ष के वास्तविक	चालू वर्ष का बजट प्राक्कलन	चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	अगले वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	देयताओं के शीर्ष	चालू वर्ष से ठीक पहले के वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वर्ष का बजट प्राक्कलन	चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
वर्ष के अंत में नकद शेष* घाटा					ऋण				

*इसमें वेतन यात्रा भत्ते और वकील की फीस के अग्रिम शामिल हैं।

भाग - घ**वित्तीय वर्ष के दौरान आय और व्यय का बजट प्राक्कलन सार**

तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन	चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	अगले वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अगले वित्तीय वर्ष के अंत में घाटा

भाग - ङ**प्राप्त दान और अनुदान का अभिलेख**

क्र.सं.	दानकर्ता का नाम	दानकर्ता का पता	रकम	दान या अनुदान की शर्तें, यदि कोई हों	दान या अनुदान की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

दूसरी अनुसूची

[नियम 6(5) और (6) तथा 10(3) देखिए]

मुतबल्ली द्वारा की जाने वाली घोषणा

“मैं _____ (नाम) एतद्वारा सत्यापित करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई वक्फ और उसकी संपत्ति के संबंध में जानकारी और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सभी मामलों में सत्य और सही हैं और यदि कोई जानकारी या विशिष्टियां असत्य या गलत पाया जाता है तो मैं जिम्मेदार रहूंगा।”

मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा

“मैं _____ (नाम) एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने पोर्टल और डाटाबेस पर दी गई वक्फ और उसकी संपत्ति की जानकारी और विशिष्टियां को सत्यापित कर लिया है और प्रमाणित करता हूँ कि जानकारी और विशिष्टियां सभी मामलों में सत्य और सही हैं।”

[फा. सं. Waq/5/2025-Waqf-MoMA-पार्ट(2)]

शेरशा सी शेख मोहिद्दीन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2025

G.S.R. 442(E).— In exercise of the powers conferred by section 108B of the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995 (43 of 1995);
- (b) “electronic mode” means the electronic form as defined in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (c) “Form” means a Form specified under the First Schedule;
- (d) “Schedule” means a Schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Portal and database.— (1) A portal and database is set up for the purposes of filing of details of waqf under section 3B, uploading of list of auqaf under section 5, registration of new waqf under section 36, maintenance of register of

auqaf under section 37 and maintenance and submission of accounts of mutawalli of a waqf under section 46, publication of audit report under section 47 and publication of proceedings and order of Board under section 48 of the Act.

(2) The Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Minority Affairs in charge of the waqf division shall be responsible for the supervision and control of the portal and database.

(3) The portal and database shall contain the details and fields referred to in the Act, monitoring and management of waqf properties and related data, court cases, resolution of disputes and such other details and fields as are necessary for the filing of details of the waqf and the property dedicated to the waqf on the portal and database.

(4) The portal and database shall enable the Board and the mutawalli to prepare and maintain their respective books of account and other records on the portal and database.

(5) The portal and database shall autogenerate a unique identification number for each waqf and each property dedicated to the waqf for records which shall be authentic and can be used for all future references and to ensure tracking and monitoring of waqf and properties thereof in all States.

(6) The portal and database shall be designed and developed to enable the persons with disabilities also to perceive, understand, navigate, and interact with the portal and database.

(7) Every State Government shall appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to that Government as the Nodal Officer and shall establish a centralised support unit, in consultation with the Central Government for providing assistance in streamlining uploading details of waqf and properties thereof, registration, maintenance of accounts, audit and other related activities of the waqf and the Board.

4. Monitoring of portal and database. — (1) The portal and database shall include features for real-time monitoring of registration of new waqf and filing details of the waqf and properties dedicated to the Waqf, institutional governance, court cases and dispute resolution, financial oversight and resource management, and for surveys and development thereof.

(2) The portal and database shall indicate the duplication of entries in case any entry in respect of a property already filed on the portal and database is made again.

(3) The portal and database shall establish a procedure for redressal of any grievance in relation to its use and functioning.

(4) The decision of the Joint Secretary under Sub-Rule (3) shall be implemented and necessary rectification of the portal and database shall be carried out accordingly.

(5) The functioning of the portal and database shall be reviewed at the end of every financial year by an independent agency to be appointed by the Central Government.

(6) The agency appointed under sub-rule (5) shall review the functioning of the portal and database and submit its report to the Central Government within a period of three months.

(7) The Central Government shall publish the report of the agency and action taken report on the recommendations of the agency on the portal and database within a period of three months from the date of submission of the report.

5. Enrolment on portal and database.— (1) Every mutawalli shall enrol on the portal and database by using his mobile number and e-mail address through authentication by one time password received from the portal and database on the mobile and e-mail and thereafter be able to access the portal and database and file details of his waqf and property dedicated to the waqf.

(2) After enrolment, the mutawalli shall be able to login the portal and database by using his mobile number and e-mail ID with One Time Password (OTP) for future use of the portal and database in respect of his waqf.

(3) A mutawalli shall enter separately the details for each waqf of which he is the mutawalli.

(4) Every user of the portal and database, including Board, Collector, designated officer under section 3C of the Act, and other officers of the Central Government and State Government dealing with waqf shall also have access to the portal and database under this rule.

(5) In case of change of mutawalli of a waqf or change of mobile number or e-mail address enrolled under sub-rule (1), the change of mobile number or e-mail address shall be the responsibility of the new mutawalli.

(6) Central Waqf Council shall have access to the information uploaded on the portal and database.

6. Filing of details of waqf on portal and database and other particulars under section 3B.— (1) The mutawalli of a waqf, existing on or before the date of commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025 (14 of 2025), shall file the details of the waqf and the property thereof under section 3B of the Act on the portal and database.

(2) The details of the waqf under sub-section (1) of section 3B of the Act, amongst other information, shall include the following, namely:—

- (a) the identification and boundaries of waqf properties, their use and occupier;
- (b) the name and address of the creator of the waqf, mode and date of such creation;
- (c) the deed of waqf, if available;
- (d) the present mutawalli and its management, including the details of beneficiaries;
- (e) the gross annual income from waqf properties;
- (f) the amount of land-revenue, cesses, rates and taxes annually payable in respect of the waqf properties;
- (g) an estimate of the expenses annually incurred in the realisation of the income of the waqf properties;
- (h) the amount set apart under the waqf for—
 - (i) the salary of the mutawalli and allowances to the individuals;
 - (ii) purely religious purposes;
 - (iii) charitable purposes; and
 - (iv) any other purposes;
- (i) area of each property;
- (j) details of court cases, if any, involving such waqf property; and
- (k) a declaration specified in the Second Schedule.

(3) In case the mutawalli could not file the details on the portal and database within the specified period for any sufficient reason, he shall seek extension of time from the Tribunal for filing of such details on the portal and database as per the proviso to sub-section (1) of section 3B of the Act.

(4) The mutawalli shall ensure that true and correct details of the waqf and the property dedicated to the waqf, including its notification number and date of publication and the auqaf register number, if available, are filed on the portal and database under section 3B of the Act.

(5) The mutawalli shall also make a declaration specified in the Second Schedule.

(6) On filing of the details of waqf and properties thereof by the mutawalli on the portal and database, the Chief Executive Officer or any other officer duly authorised in writing by the Board shall verify the details of the waqf and the property thereof filed on the portal and database under section 3B of the Act and certify the correctness of the information and particulars of the waqf and property thereof so filed and make a declaration as specified in the Second Schedule within ten days.

(7) The Board shall also check the correctness of the details of the waqf and the property dedicated to the waqf as so filed by the mutawalli on the portal and database and verified by the Chief Executive Officer or any other officer duly authorised in writing by the Board.

7. Inquiry of wrongful declaration of waqf.—The designated officer shall complete the inquiry and submit his report under section 3C of the Act within a period of one year from the date of reference made to him by the Collector.

8. Manner of payment for maintenance.— (1) The income of a waqf-alal-aulad, if the line of succession of waqif or the person in whose benefit the waqf was created fails, shall also be used for the welfare or maintenance of widow, divorced women and orphan, if waqif so intends, under sub-clause (iv) of clause (r) of section 3 of the Act.

(2) An application for payment of maintenance to a widow, divorced woman or orphan from a waqf-alal-aulad referred to in sub-rule (1) may be made to the Chief Executive Officer **in Form 1**.

(3) The application under sub-rule (2) shall be made by the widow, divorced women or orphan herself or himself or on her or his behalf by any other person.

(4) The application shall be accompanied by a copy of the Aadhaar or any other proof of identity and a copy of the proof of residence of the applicant being the widow, divorced women or orphan and also of the person in case the application is made by any other person.

(5) The Chief Executive Officer or an officer authorised by the Board, after making such enquiry as he deems fit and on being satisfied that the applicant is in need of such maintenance submit his report and recommendations to the Board as regard the payment of maintenance to the applicant from a particular waqf.

(6) The Board on being satisfied with the report and recommendations of the Chief Executive Officer or authorised officer may order for the payment of such amount of maintenance as it may consider appropriate to the applicant from a particular waqf, where the waqif of the waqf so intends or has made such provisions in the waqf.

(7) The Chief Executive Officer or the officer authorised under sub-rule (5), shall communicate the order of the Board to the applicant and the waqf concerned within a period of seven days.

(8) The waqf concerned shall pay the amount of maintenance through transfer by electronic mode only to the Bank account of the applicant and submit a report of payment to the Board.

(9) The Board and mutawalli shall maintain the records of application and payment of maintenance under this rule in **Form 2 and Form 3**.

(10) The mutawalli of the waqf-alal-aulad shall submit a quarterly report to the Board about the status of legal heirs of the property dedicated to the waqf-alal-aulad for information and for taking decision on the maintenance of widows, divorced women and orphans from the such waqf-alal-aulad.

(11) All activities of making the application, payment of maintenance and submission of report under this rule shall be made through the portal and database.

9. Manner of uploading list of auqaf.—(1) After completion of survey, the State Government shall publish the list of auqaf which shall contain—

- (a) the identification, boundaries of waqf properties;
- (b) their use and occupier;
- (c) details of the creator, mode and date of such creation;
- (d) purpose of waqf;
- (e) their present mutawalli and management.

(2) The State Government shall cause the notified list of auqaf and the details of each waqf are uploaded on the portal and database, within a period of ninety days from the date of publication of the list in the Official Gazette, by an officer authorised by the State Government.

(3) If the notified list of auqaf and details of each waqf could not be uploaded on the portal and database within the period specified under sub-rule (2), the State Government shall upload the same within a further period of ninety days along with the reasons for the delay.

10. Registration of new waqf.—(1) A waqf created after the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025 (14 of 2025) shall make an application to the Board for its registration under section 36 of the Act within three months of its creation.

(2) The application for registration of waqf shall be made on the portal and database in **Form 4**, and shall contain the following particulars, namely:—

- (a) a description of the waqf properties sufficient for the identification thereof;
- (b) a copy of waqf deed, to be uploaded;
- (c) the gross annual income from such properties;
- (d) the amount of land revenue, cesses, rates and taxes annually payable in respect of the waqf properties;
- (e) an estimate of the expenses annually incurred in the realisation of the income of the waqf properties;
- (f) the amount set apart under the waqf for—
 - (i) the salary of the mutawalli and allowances to the individuals;
 - (ii) purely religious purposes;
 - (iii) charitable purposes; and
 - (iv) any other purposes;
- (g) the name and address of the waqif, if available;
- (h) the name and addresses of the beneficiaries of the waqf in case of waqf-al-aulad and shares of each beneficiary in such waqf;
- (i) the details of widows, divorced women and orphan, if any, who may be in receipt of maintenance from the waqf, in case of a waqf-alal-aulad;
- (j) the details of court cases, if any;
- (k) the details of encroachment on the property of the waqf, if any;
- (l) the demarcation and area of waqf property and photograph of the property;
- (m) whether waqif is a lawful owner of the property and competent to dedicate to the waqf;
- (n) whether the property is a Government property or a protected monument or protected area under the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904) or the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
- (o) whether the property falls under the provisions of the Fifth Schedule or the Sixth Schedule to the Constitution.

(3) The mutawalli while making an application for registration on the portal and database shall upload a copy of his Aadhaar number or any other valid photo identity card for verification and make a declaration specified under the Second Schedule.

(4) The mutawalli shall also upload the copies of land records of each immovable property of the waqf on the portal and database.

(5) On receipt of the application for registration, the Board shall forward the application to the Collector having jurisdiction for inquiry and report.

(6) The Collector shall inquire the genuineness and validity of the application and the particulars mentioned therein in accordance with the revenue laws and, in his report, confirm that—

- (a) the waqif is a lawful owner of the property and competent to dedicate to the waqf;
- (b) the property is not a Government property or protected monument or protected area under the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904) or the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
- (c) the property does not belong to Scheduled Tribes under the provisions of the Fifth Schedule or the Sixth Schedule to the Constitution.

(7) The Collector shall submit the report to the Board within a period of sixty days from the date of receipt of the reference from the Board.

(8) If the application is made by any person other than the person administering the waqf, the Board shall, before registering the waqf, give notice of application to the person administering the waqf and shall hear him if he desires to be heard.

(9) The mutawalli shall submit an annual report of its activities along with its audited statement of income and expenditure to the Board on the portal and database.

(10) The Board shall publish on the portal and database a summary of details of each waqf which shall include the identification of waqf and mutawalli thereof, the activities undertaken by the waqf during the previous year, its income and expenditure, and details of court cases and encroachments, if any.

11. Register of auqaf.—(1) The Board shall maintain a register of auqaf under section 37 of the Act in electronic mode on the portal and database in **Form 5**.

(2) The register of auqaf, under section 37 of the Act, shall contain the following particulars, namely:—

- (a) waqf identification number assigned to the waqf and each property thereof;
- (b) copies of the waqf deeds, if available, and mandatorily in case of a waqf created after the date of the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025 (14 of 2025);
- (c) the class of the waqf;
- (d) the names of the mutawallis;
- (e) the rule of succession to the office of mutawalli under the waqf deed or by custom or by usage;
- (f) particulars of all waqf properties and all title deeds and documents relating thereto;
- (g) particulars of the scheme of administration and the scheme of expenditure at the time of registration;
- (h) the notification number and date of its publication in the Official Gazette under which the waqf is notified;
- (i) the name and address of the waqif, if available;
- (j) the name and addresses of the beneficiaries of the waqf in case of waqf-al-aulad and shares of each beneficiary in such waqf;
- (k) the details of court cases and encroachments, if any;
- (l) the nature of occupancy of any property of waqf, whether self-managed or leased and income from the property, if any;
- (m) the demarcation and area of waqf property and photograph of the property;
- (n) whether waqif is a lawful owner of the property and competent to dedicate to the waqf;
- (o) whether the property is a Government property or protected monument or protected area under the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904) or the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
- (p) whether the property falls under the provisions of the Fifth Schedule or the Sixth Schedule to the Constitution.

(3) The Chief Executive Officer shall arrange to upload the photographs and video-graphic records of the property and gist thereof on the portal and database.

(4) The Chief Executive Officer of the Board shall ensure the correctness of details entered into the register of auqaf and update the register at the end of every calendar month.

12. Maintenance of accounts of mutawalli of a waqf.— (1) The mutawalli of a waqf shall prepare and furnish to the Board a full and true statement of accounts and records under section 46 of the Act in **Form 6**.

(2) The mutawalli shall furnish the annual statement of accounts to the Board in electronic mode on the portal and database on or before the 1st October of every year.

(3) The mutawalli shall maintain the books of accounts and other relevant records in the forms mentioned in sub-rule (1) in electronic mode on the portal and database.

(4) The mutawalli shall retain all books of accounts and other relevant papers and vouchers.

(5) The records maintained are to be uploaded on the portal and database.

(6) If the annual income of the waqf is less than one lakh rupees, the mutawalli of the waqf shall furnish a statement of accounts in Part A of Form 6 to the Board.

13. Publication of audit report.— On receipt of the audit report under sub-section (2) of section 47 of the Act, the Board shall publish the audit report on the portal and database.

14. Publication of proceedings and orders of Board.— (1) The Board shall publish the order made under sub-section (1) of section 48 of the Act together with all proceedings made by the Board in the matter on the portal and database within ten working days from the date of the order.

(2) The mutawalli, management committee and other stakeholders shall immediately be notified by the Board about the order made under sub-section (2) of section 48 of the Act.

15. Annual contribution payable to Board.— The maximum amount for the purposes of annual contribution payable to the Board under sub-section (1) of section 72 of the Act shall be one crore rupees.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 2(d)]

FORM 1

[See rule 8(2)]

APPLICATION FOR PAYMENT OF MAINTENANCE

[UNDER SECTION 3(r)(iv) OF THE UNIFIED WAQF MANAGEMENT, EMPOWERMENT, EFFICIENCY AND DEVELOPMENT ACT, 1995 (43 of 1995)]

Application No:

Date of receipt:

To

The Chief Executive Officer

State Board of Waqf of ----- (Name of State)

Address-----

Details of applicant:

Affix a recent passport size photograph

1. Name:

2. Father's name:

3. Address:

(Attach a copy of the proof of residence)

4. Aadhaar number:

(Attach a copy of the Aadhaar or any other valid photo identity card)

5. Marital status:

6. Whether widow, divorced women or orphan:

7. Period of being widow, divorced women or orphan:

If the application is not made by the applicant personally, the details of person making the application on behalf of the applicant:

Affix a recent passport size photograph

8. Name:

9. Father's name:

10. Address:

11. Aadhaar number:

(Attach a copy of the Aadhaar or any other valid photo identity card)

Details of maintenance claimed:

12. Nature of maintenance:

(Whether for maintenance of widow, divorced women or orphan)

13. Status of the applicant:

(Please attach the documentary proof of the status)

14. Amount of maintenance claimed for:

DECLARATION

I _____ s/d of Shri _____

resident of _____ hereby declare that the information furnished by me is true and correct to the best of my knowledge and nothing material information has been concealed by me.

Date:

Signature

Place:

(Name-----)

DECLARATION by the person making the application on behalf of the applicant, If the application is not made by the applicant personally:

I _____ s/d of Shri _____

resident of _____ hereby declare that the applicant name above is personally known to me and I believe that she/he is eligible to claim the maintenance from the waqf-alal-aulad and the information furnished by me is true and correct to the best of my knowledge and nothing material information has been concealed by me.

Date:

Signature

Place:

(Name-----)

FORM 2

[See rule 8(9)]

RECORD OF APPLICATION AND PAYMENT OF MAINTENANCE MAINTAINED BY THE BOARD**Details of applicant:**

1. Name of the applicant:
2. Father's name:
3. Address:
4. Aadhaar number or any other valid photo identity card:
5. Marital status:
6. Whether widow, divorced women or orphan:
7. Period of being widow, divorced women or orphan:

If the application is not made by the applicant personally, the details of person making the application on behalf of the applicant:

8. Name:
9. Father's name:
10. Address:
11. Aadhaar number or any other valid photo identity card:

Details of waqf-alal-aulad from which maintenance is claimed:

12. Waqf-alal-aulad:
13. Address of waqf-alal-aulad:
14. Name of mutawalli:
15. Address of mutawalli:

Details of maintenance claimed:

16. Nature of maintenance:
(Whether for maintenance of widow, divorced women or orphan)
17. Amount of maintenance:
18. Number and date of order of Board granting the maintenance to the applicant:
19. Verification of entries and signature of official of the Board:

FORM 3

[See rule 8(9)]

RECORD OF APPLICATION AND PAYMENT OF MAINTENANCE MAINTAINED BY THE WAQF

(Name of the Waqf and address)

Details of applicant:

1. Name of the applicant:
2. Father's name:
3. Address:
4. Aadhaar number or any other valid photo identity card:
5. Marital status:
6. Whether widow, divorced women or orphan:
7. Period of being widow, divorced women or orphan:

If the application is not made by the applicant personally, the details of person making the application on behalf of the applicant:

8. Name:
9. Father's name:
10. Address:
11. Aadhaar number or any other valid photo identity card:

Details of waqf-alal-aulad from which maintenance is claimed:

12. Waqf-alal-aulad:
13. Address of waqf-alal-aulad:
14. Name of mutawalli:
15. Address of mutawalli:

Details of maintenance claimed:

16. Nature of maintenance:
(Whether for maintenance of widow, divorced women or orphan)
17. Amount of maintenance:
 18. Number and date of order of Board granting the maintenance to the applicant:
19. Verification of entries and signature of the mutawalli:

FORM 4

[See rule 10(2)]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF WAQF

[UNDER SECTION 36 OF THE UNIFIED WAQF MANAGEMENT, EMPOWERMENT, EFFICIENCY AND DEVELOPMENT ACT, 1995 (43 of 1995)]

Application No:

Date of receipt:

To

The Chief Executive Officer

State Board of Waqf of ----- (Name of State)

Address-----

Application for registration of _____ (name of the waqf), situated at -
 _____ (full address)

Details of applicant:

1. Name:

2. Father's name:

3. Address:

4. Aadhaar number:

(Attach a copy of the Aadhaar or any other valid photo identity card)

If the application is made by any person other than the person administering the waqf, the name and address of the person or person administering the waqf

5. Name of the person administering the waqf:

6. Father's name:

7. Address:

Details of waqf:

8. Copy of the waqf deed;

9. A description of the waqf properties sufficient for the identification thereof;

10. The gross annual income from such properties;

11. Amount of land revenue, cesses, rates and taxes annually payable in respect of the waqf properties;

12. An estimate of the expenses annually incurred in the realisation of the income of the waqf properties;

13. Amount set apart under the waqf for—

(i) the salary of the mutawalli and allowances to the individuals;

- (ii) purely religious purposes;
- (iii) charitable purposes;
- (iv) any other purposes;
- 14. Name and address of the waqif, if available;
- 15. Names and addresses of the beneficiaries of the waqf in case of waqf-al-aulad and shares of each beneficiary in such waqf;
- 16. Details of widows, divorced women and orphan, if any, who may be in receipt of maintenance from the waqf, in case of a waqf-alal-aulad;
- 17. Details of court cases, if any;
- 18. Details of encroachment on the property of the waqf, if any;
- 19. The demarcation and area of waqf property;
- 20. Whether waqif is a lawful owner of the property and competent to dedicate to the waqf;
- 21. Whether the property is a Government property or protected monument or protected area under the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904) or the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
- 22. Whether the property falls under the provisions of the Fifth Schedule or the Sixth Schedule to the Constitution.

FORM 5

[See rule 11(1)]

REGISTER OF AUQAF

[UNDER SECTION 37 OF THE UNIFIED WAQF MANAGEMENT, EMPOWERMENT, EFFICIENCY AND DEVELOPMENT ACT, 1995 (43 of 1995)]

(Name of the Waqf and address)

- 1. Copy of the waqf deed, if available, and mandatorily in case of a waqf created after the date of the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025;
- 2. Unique Identification Number of the Waqf;
- 3. Unique Identification Number of property/properties of the waqf;
(Record here the UID number of each waqf property)
- 4. A description of the each waqf properties sufficient for the identification thereof;
(Record here the description of each waqf property)
- 5. The gross annual income from such properties;
- 6. Amount of land revenue, cesses, rates and taxes annually payable in respect of the waqf properties;
- 7. An estimate of the expenses annually incurred in the realisation of the income of the waqf properties;
- 8. Amount set apart under the waqf for—
 - (i) the salary of the mutawalli and allowances to the individuals;
 - (ii) purely religious purposes;
 - (iii) charitable purposes;
 - (iv) any other purposes;

9. Name and address of the waqif, if available;

10. Names and addresses of the beneficiaries of the waqf in case of waqf-al-aulad and shares of each beneficiary in such waqf;

11. Details of widows, divorced women and orphan, if any, who may be in receipt of maintenance from the waqf, in case of a waqf-alal-aulad;

12. Details of court cases, if any;

13. Details of encroachment on the property of the waqf, if any;

14. The demarcation and area of waqf property;

15. Whether waqif is a lawful owner of the property and competent to dedicate to the waqf;

16. Whether the property is a Government property or protected monument or protected area under the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904) or the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

17. Whether the property falls under the provisions of the Fifth Schedule or the Sixth Schedule to the Constitution;

18. Name and designation of the official of the Board responsible for making the entries in the Register and his initials.

FORM 6

[See rule 12(1)]

STATEMENT OF ACCOUNTS AND RECORDS

[UNDER SECTION 46 OF THE UNIFIED WAQF MANAGEMENT, EMPOWERMENT, EFFICIENCY AND DEVELOPMENT ACT, 1995 (43 of 1995)]

PART – A

BUDGET ESTIMATES OF INCOME AND EXPENDITURE

FOR THE FINANCIAL YEAR _____

(Name of the Waqf and address)

INCOME					EXPENDITURE				
Head of income	Actual for year immediately preceding current year	Budget estimates of current year	Revised budget estimate for current year	Revised budget estimate for next financial year	Head of expenditure	Actuals for year immediately preceding current year	Budget estimate of current year	Revised budget estimate for current year	Budget estimates for next financial year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Income:

1. Contribution received.

2. Other Income—

(a) Interest on investments and advances.

(b) Fee for supply of documents and other petty items.

Expenditure:

1. Deficit from previous year

2. (a) Land Revenue paid to the Government

(b) Remuneration and allowances of mutawalli.

- (c) Rents and Land and Buildings.
- (d) Cash grants and amenities.
- (e) Sale of securities, stocks, debentures or other valuables.
- (f) Sale of immovable properties.
- (g) Nazars and offerings
- (h) Other receipts.

(c) Remuneration and allowances of members of the management committee.

(d) Travelling and other allowances.

(e) Rates, cesses, taxes and licence fees, paid by it to the Government or any local authority.

(f) Expenditure incurred for all or any of the in respect of lands directly under cultivation by the mutawalli for the benefit of the waqf, namely:—

(i) maintenance of, or repairs to, irrigation works, which shall not include the capital cost of irrigation;

(ii) seeds or seedlings;

(iii) manure;

(iv) purchase and maintenance of agricultural implements;

(v) purchase and maintenance of cattle for cultivation;

(vi) wages for ploughing, watering, sowing, transplanting, harvesting, threshing and other agricultural operations:

(vii) expenditure on sundry repairs to rented buildings, not exceeding five per cent. of the annual rent derived therefrom, or the actual expenditure, whichever is less;

(viii) sale proceeds of immovable properties or rights relating to, or arising out of immovable properties, if such proceeds are reinvested to earn income for the waqf.

Total:

DEFICIT/Surplus at the end of the next financial year:

PART – B

BUDGET ESTIMATE OF RECEIPTS AND PAYMENTS

FOR THE FINANCIAL YEAR _____

Receipts	Actual for year immediately preceding current year	Budget estimates of current year	Revised budget estimate for current year	Revised budget estimate for next financial year	Payments	Actuals for year immediately preceding current year	Budget estimate of current year	Revised budget estimate for current year	Budget estimates for next financial year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Cash Balance from previous year:

(i) Income.

(ii) Loans.

TOTAL

(i) Expenditure.

(ii) Payments of loans*

Cash balance at the end of year**

* From the surplus of income over expenditure or from balance of loans, etc. when there is no surplus.

** Includes advances of pay, travelling allowances and lawyer's fees.

PART – C
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

Heads of Assets	Actual for year immediately preceding current year	Budget estimates of current year	Revised budget estimate for current year	Revised budget estimate for next financial year	Heads of Liabilities	Actuals for year immediately preceding current year	Budget estimate of current year	Revised budget estimate for current year	Budget estimates for next financial year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Cash balance* deficit at the end of year					Loans				

* Includes advances of pay travelling allowances and lawyer's fees.

PART – D
BUDGET ESTIMATES OF INCOME AND EXPENDITURE DURING THE FINANCIAL YEAR
ABSTRACTS

Actual for the immediately preceding year	Budget estimate for current year	Revised budget estimate for current year	Budget estimates for next year	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Deficit at the end of the next financial year.....

PART – E
RECORD OF DONATIONS AND GRANTS RECEIVED

Sl.No.	Name of donor	Address of donor	Amounts	conditions if any, of donation or grants	Date of donation or grants
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

THE SECOND SCHEDULE

[See rules 6(5) and (6) and 10(3)]

DECLARATION TO BE MADE BY MUTAWALLI

“I _____ (name) hereby verify and declare that the information and particulars in respect of the waqf and property thereof furnished by me are true and correct from all respect to the best of my knowledge and I shall be responsible if any information or particular is found to be false or incorrect.”

**DECLARATION TO BE MADE BY THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER OR THE OFFICER
AUTHORISED BY THE BOARD**

“I _____ (name) hereby declare that I have verified the information and particulars of the waqf and property thereof furnished on the portal and database and certify that the information and particulars are true and correct from all respect.”

[F. No. Waq/5/2025-Waqf-MoMA-Part(2)]

SHERSHA C SHAIK MOHIDDIN, Jt. Secy.